

सूचना

राष्ट्रीय अभियंता परिषद

प्रसार पत्रिका संख्या 27

संख्या- प्राविण/परीषद/संख्या/2021/3537

संख्या- दिनांक 05/08/2021

संस्थाओं को सूचना

राष्ट्रीय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली पर्याप्त कठिनता और शुद्धता, नई दिल्ली द्वारा विधिक रूप से 2021-22 हेतु विद्यार्थी स्वीकृति प्रदान करने के अलावा प्राविणिका शिक्षा परिषद, अलाहाबाद से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 09/11/2021 को परिषद कार्यलय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अधोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने संबंधी प्रश्न पर विचार करने हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निम्न सूची के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविणिका शिक्षा परिषद, अलाहाबाद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता प्रदान करने के अलावा विस्तार प्रदान हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम - 2258-RAMESHWARAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT GOVINDPURAM, NEAR SEWA HOSPITAL, SITAPUR ROAD, L

क्र.सं.	संस्था का नाम	प्राविणिका शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	प्राविणिका शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
2	CIVIL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60


संस्था हेतु सूची

- ✓ संस्था 01/07/2021 को प्राविणिका शिक्षा परिषद, नई दिल्ली को सूचित करने के लिए सूचना प्रदान करेगी।
- ✓ संस्था अलाहाबाद प्राविणिका शिक्षा परिषद एकर 1862 तथा प्राविणिका शिक्षा परिषद विनियमनकी 1362, अलाहाबाद विनियमनकी 2016 तथा अन्य प्राविणिका शिक्षा परिषद की 1362, अलाहाबाद विनियमनकी 2016 तथा अन्य प्राविणिका शिक्षा परिषद की 1362, अलाहाबाद विनियमनकी 2016 के अलावा सूचना निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके 10/08/2021 तक प्राविणिका शिक्षा परिषद, नई दिल्ली को सूचित करने के लिए सूचना प्रदान करेगी।



45000/00- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय चक्रवर्ती (दो वर्षीय चक्रवर्ती पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु 80-22500/00- प्रतिवर्ष शुल्क ही पर्येक छात्रछात्रा से वसूला किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समस्त-समाज पर सवाल द्वाारा निर्गत किये जाने वाले सामन्तदेव प्रस्ताव होने, और लक्ष्यसाध कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। पीएल निर्धारण समिति द्वाारा बरि सन् 2021-22 हेतु पीएल का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो पीएल की गरीबताम ही लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरो) पब्लिक शिक्षा समितियां तथा इन समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमावली-2010 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद् द्वारा आयोजित (एच) को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटी के रिक्त छे करने की समिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट सामन्तदेव के अनुसार शिक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था में पाठ्यक्रमों/विषयों/परीक्षाओं से आबानी सब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधिविधान/संघीयता/सामन्तदेव/निर्देशों एवं निर्देशक, पब्लिक शिक्षा, 2010, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद्, 2010 तथा पब्लिक शिक्षा परीषद्, 2010 द्वारा बनाये गये विधियां, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बलान होगी।
- ✓ विनियमा इन शर्तों/पाठ्यक्रम की संस्थाएं बरि पी.सी.आई. लई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में संस्था उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। पब्लिक शिक्षा परीषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद्, पब्लिक शिक्षा निर्देशालय एवं पब्लिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बरि दावर निम्न प्राप्त है तथा दावर बरि के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की परीक्षा/संस्था आदेश निर्यात किया जाता है तो संस्था बरिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम संघलित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद्, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पी(सी)आई से अनुमोदन प्राप्त कर परीषद् कार्यालय को उपस्था करता होगा। अथवा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से) अथवा संस्था स्वयं पर सीधे प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत सर्वोत्तम आदान नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्थाप, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किये जाने वाला शुल्क, छात्रछात्रा शुल्क आदि का विवरण उपस्था करता होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिचालन हेतु उपयुक्त कालांतरण उपस्था बनाने के साथ रीजिटर के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित ही ले कि संस्था में समावेशित संघलित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निर्देशना समिति के समस्त उपस्था बनाये गये अतिरिक्त, भूमि भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का बरि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परीषद् को दुबकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त पर प्रयोग किसी अन्य करने के लिए कर रही है तो आवश्यक संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्वीकृत शिक्षण टीएल बरि संस्था में भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा



दिया जात है तथा राज्य सरकार के संकेत में यह न्यायलय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अपील नहीं किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा।

- ✓ संस्थाओं को समस्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, राज्य प्रवेश परीक्षा सहित इत्यादि परीक्षाओं को प्रवेश देने, आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के पूर्व आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरी तरह से अनुपालन प्राप्त कर परिष्कृत न्यायलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की आवश्यकता के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत प्रवेश प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ राज्य प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश देने वाले समय पर निर्दिष्ट न्यूनतम आयु तक निर्धारित अनुपात में अनुपात बनाए रखा जायेगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रति प्रति, स्टाफ, मातृ संस्था, उपाध्यक्ष, कार्य विधि जैसे वरदा सुनक, साक्षात्कार सुनक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थी-प्रवेश प्रदान करने के माध्यम से प्रवेश प्रदान करने के माध्यम से संस्था प्रवेश प्रदान करने के माध्यम से सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ राज्य में सुनिश्चित हो कि संस्था में प्रवेशित संस्थागत न्यायलय की कार्य करने हेतु विद्यार्थी-प्रवेश के माध्यम से प्रवेश प्रदान करने पर आवश्यक सुनिश्चित, वर्गीकरण, वर्गीकरण, उपाध्यक्ष सुनक का कार्य संस्था द्वारा किसी अन्य न्यायलय के संकेत में प्रवेश दिया जाता है जो परीक्षा को इत्यादि जानकारी होगी है कि संस्था वर्गीकरण पर प्रवेश प्रदान करने के लिए बना रही है तो उपाध्यक्ष संस्था को सम्बन्धित न्यायलय प्रदान करने की आवश्यकता होगी।
- ✓ संस्था के प्रवेश प्रदान निर्देशों के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, न्यायलय, उपाध्यक्ष एवं अन्य न्यायलय आवश्यकताओं को सम्बन्धित न्यायलय प्रदान करने की आवश्यकता होगी तथा संस्था को सम्बन्धित न्यायलय प्रदान करने की आवश्यकता होगी।
- ✓ संस्थागत प्रवेश का अनुपालन न करने वाले उपाध्यक्षों का उपाध्यक्ष प्रदान करने की दिशि में नियमानुसार अनुपात-उपाध्यक्ष कार्यवाही की जायेगी।

(Handwritten Signature)
(एम्प्लॉयड ऑफिस)

सचिव

संख्या: प्रशासनिक/संख्या/2022/10-0455

दिनांक: 30/08/2022

संस्थान

UNIVERSITY RAMESHWARAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT, BOWINDPURAM, NEAR SEWA HOSPITAL, SITAPUR ROAD, LUCKNOW

(Handwritten Signature)
(एम्प्लॉयड ऑफिस)

सचिव

